फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

रौनक आदि बनाम मोड्डुराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 67/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
14.05.2026	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी स0 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 203/167 की कुल 19.2790 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि में से प्रार्थी के हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन रास्ता व खाला पर लागु नही होगी। वकील सायल गैरसायल की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे प्रार्थी /सायल आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। उक्त के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड /सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.06.2026 को पेश हो। Rahul. उपखण्ड अधिकारी नोहर	
10.6.26	पत्रावली पेश हुई वकील सायल/सायल उपस्थित नही पुन: वकील सायल/सायल को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु सायल या सायल का वकील उपस्थित नही प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो Rahul. उपखण्ड अधिकारी नोहर	